संख्या-58 /2021/127/22-4-2021-48(13)/19

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-19 मार्च, 2021

विषय- प्रदेश की कारागारों में निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर सभी परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षकों के निरीक्षणों के दौरान सघन तलाशी हेतु 09 परिक्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 01-01 अदद् तथा प्रशिक्षण के लिए सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान हेतु 01 अदद् कुल 10 अदद् नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर (एनएलजेडी) की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1787/आधु0-1/एनएलजेडी/2019, दिनांक 25 जनवरी, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया प्रदेश की कारागारों में निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर सभी परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षकों के निरीक्षणों के दौरान सघन तलाशी हेतु 09 परिक्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 01-01 अदद् तथा प्रशिक्षण के लिए सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान हेतु 01 अदद् अर्थात कुल 10 अदद् नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर (एनएलजेडी) जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 1,90,92,000/-(रूपया एक करोड़ नब्बे लाख बानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	**परिक्षेत्र का नाम**	**प्रस्तावित संख्या**	**अनुमानित लागत**
1	प्रयागराज परिक्षेत्र	01	1909240
2	वाराणसी परिक्षेत्र	01	1909240
3	अयोध्या परिक्षेत्र	01	1909240
4	कानपुर परिक्षेत्र	01	1909240
5	लखनऊ परिक्षेत्र	01	1909240
6	गोरखपुर परिक्षेत्र	01	1909240
7	मेरठ परिक्षेत्र	01	1909240
8	बरेली परिक्षेत्र	01	1909240
9	आगरा परिक्षेत्र	01	1909240
10	सम्पूर्णानन्द प्रशिक्षण संस्थान	01	1909240
	योग-	10	19092400
		अर्थात कुल रू0 1,90,92,000/- (रूपया एक करोड़ नब्बे लाख बानवे हजार मात्र)	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशो के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2017 की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(2) महानिरीक्ष कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) क्रय किये जाने वाले नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक कारागार पूर्णत संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता निर्धारित मानके के अनुरूप हो।

(4) नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यह कोई धनराशि बचती है, तो उससे अन्य उपकरण क्रय न किया जाय।

(5) धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-842 /दस/2021, दिनांक-19 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-58 /2021/127(1)/22-4-2021-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

भवदीय,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in